

प्रेस नोट – मॉनीटरिंग सेल

जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक – 08.10.2026

ऑपरेशन कन्विकशन: अवैध मादक पदार्थ स्मैक/हेरोईन की बरामदगी के मामले में शाहजहाँपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी, अभियुक्त को 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹50 हजार अर्थदण्ड

150 ग्राम स्मैक/हेरोईन बरामदगी के मामले में थाना कटरा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी से अभियुक्त को न्यायालय से दिलाई गई सजा

श्री राजीव कृष्ण, पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार जघन्य अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों को न्यायालय से अधिकतम एवं प्रभावी दण्ड दिलाए जाने हेतु चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में श्री रमित शर्मा, अपर पुलिस महानिदेशक, बरेली जोन, बरेली एवं श्री अजय कुमार साहनी, पुलिस उपमहानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली के निर्देशानुसार तथा श्री सौरभ दीक्षित, पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन में शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अभियोजन विभाग के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए न्यायालय में निरन्तर प्रभावी पैरवी की गई। श्री देवेन्द्र कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) तथा श्री शुभम वर्मा, क्षेत्राधिकारी सदर/प्रभारी पैरवी के कुशल पर्यवेक्षण में मॉनीटरिंग सेल, थाना कटरा पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण की प्रभावी एवं निरन्तर पैरवी की गई। पुलिस टीम द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित साक्ष्यों को समयबद्ध रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया तथा कुल 04 साक्षियों की गवाही सुनिश्चित कराते हुए अभियोजन पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत किया गया। प्रभावी पैरवी एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय एडीजे-42, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2021 को थाना कटरा में तैनात व0उ0नि0 श्री सन्तोष कुमार मय हमराही पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में भ्रमणशील एवं चेकिंग में मामूर थे। इसी दौरान खैरपुर चौराहे पर चेकिंग के दौरान जैतीपुर की तरफ से मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया तो उसने भागने का प्रयास किया, जिसे खैरपुर चौराहे से जैतीपुर की ओर करीब 30 कदम की दूरी पर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गिरीशपाल पुत्र छेदालाल, निवासी टांडा सिकन्दरपुर, थाना फरीदपुर, जनपद बरेली बताया तथा अपने पास नशीला पदार्थ होना बताया। पुलिस टीम द्वारा तत्काल क्षेत्राधिकारी तिलहर को सूचना दी गई। क्षेत्राधिकारी तिलहर की मौजूदगी में अभियुक्त की नियमानुसार जामा तलाशी ली गई, जिसमें उसके कब्जे से 150 ग्राम स्मैक/हेरोईन बरामद हुई। बरामदगी के आधार पर थाना कटरा पर मु०अ०सं० 476/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के दौरान संकलित भौतिक एवं मौखिक साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण को प्रभावी ढंग से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना कटरा पुलिस, मॉनीटरिंग सेल एवं अभियोजन विभाग द्वारा प्रकरण में निरन्तर प्रभावी पैरवी करते हुए कुल 04 साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कराया गया। उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभियोजन की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त गिरीशपाल को दोषसिद्ध पाते हुए 04 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹50,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

सजा प्राप्त अभियुक्त का विवरण-

गिरीशपाल पुत्र छेदालाल, निवासी टांडा सिकन्दरपुर, थाना फरीदपुर, जनपद बरेली।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 476/2021, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट, थाना कटरा, जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी-

150 ग्राम स्मैक/हेरोइन।

न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा-

माननीय न्यायालय एडीजे-42, शाहजहाँपुर द्वारा अभियुक्त गिरीशपाल को दोषसिद्ध पाते हुए—

- 04 वर्ष का सश्रम कारावास।
- ₹50,000/- का अर्थदण्ड।

से दण्डित किया गया।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहाँपुर पुलिस की प्रतिबद्धता-

शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालय में मामलों की सशक्त पैरवी, साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति एवं अभियोजन विभाग के साथ बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। “ऑपरेशन कन्विक्शन” के माध्यम से अपराधियों को उनके कृत्यों के लिए न्यायालय से दण्डित कराने तथा आमजन में कानून के प्रति विश्वास और अपराधियों में कानून का भय स्थापित करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई निरन्तर जारी है।